न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 13/65

1. मृतक रामदेव पुत्र नुन्हवा ।
2. मृतक केली पत्नी स्व0 रामदेव निवासीगण बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी जरिये कायममुकामान :–
   2/1. किशन लाल पुत्र स्व0 रामदेव
   2/2. घींसी पुत्री रामदेव ।
   2/3. मोहनी पुत्री रामदेव ।
   2/4. प्रसन्न पुत्री रामदेव जाति कुम्हार निवासीगण बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामलाल पुत्र मडया
2. राजू पुत्र रामकरण
3. सत्यनारायण पुत्र रामकरण
4. गुलाब पत्नी रामकरण निवासीगण बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. कस्तूरी पुत्री रामकरण निवासी बालापुरा तहसील नैनवा ।
6. लाभी पुत्री रामकरण जाति कुम्हार निवासी कुम्हारिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 05.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2008 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट मृतक रामदेव ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा में खसरा नम्बर 114 रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 850 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 860 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 861 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 862 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 863 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 864 रकबा 02 बीझरर 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 865 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 917 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 09 कुल रकबा 33 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के खाते में वादी के पिता की मृत्यु के बाद निरन्तर चली आ रही है और वादी उक्त भूमि पर खातेदार कृषक की हैसियत से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । प्रतिवादीगण का नाम उक्त भूमि पर गलत रूप से दर्ज हो गया जिसके आधार पर प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल करने पर आमादा हो गये हैं ।

3. अतः वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावे और प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे और वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे तथा उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे ।

4. तत्पश्चात् पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक राजीनामा पेश कर उक्त राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2008 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2008 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट के कायममुकामान ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के आधार पर प्रस्तावित राजीनामा के विरूद्ध जाकर निर्णय पारित किया है जो विधि – विरूद्ध है । वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है । राजस्व रिकॉर्ड में एक व्यक्ति का नाम दर्ज हो जाने से वाद प्रस्तुत किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों व दस्तावेजों से परे जाकर सरसरी तौर पर राजीनामा सद्भाविक नहीं हाने की फाईडिंग अंकित करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2008 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान द्वारा लिखित राजीनामा पेश कर दिया था और उनके अभिभाषक महोदय ने राजीनामा अनुसार वाद डिक्री हो जाने का बताया और निर्णय की तारीख पर मालूम कर लेने का कथन किया । दिनांक 06.11.2008 को न्यायालय में जानकारी की तो पता चला कि अभी निर्णय नहीं लिखाया है । जनवरी 2013 में प्रशासन गॉव के संग अभियान में अपने गॉव बम्बूली में उक्त राजीनामा के आधार पर

नामान्तरकण खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया तो शिविर में उपस्थित तहसीलदार साहब ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री लेकर आओ जिस पर अपीलान्ट द्वारा अपने वकील साहब से सम्पर्क किया और उनके कहने पर उक्त निर्णय एवं डिक्री प्राप्त करने के लिए नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर । उक्त निर्णय एवं डिक्री नकल प्राप्त की तब जानकारी हुई कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा को सद्भाविक नहीं माना और वादी का वाद खारिज कर दिया । जिस पर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादीगण द्वारा एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । इस दावे में रिसीवर नियुक्त किया गया था । पक्षकारान के द्वारा दौराने दावा एक राजीनामा भी पेश किया गया क्योंकि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के सदस्य हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा को सद्भाविक नहीं मानते हुए खारिज किया है । राजीनामा के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय को वादीगण का दावा डिक्री करना चाहिए थाँ । नगद प्रतिभूति की राशि का निरस्तारण तो राजीनामा के अनुसार किया है परन्तु पक्षकारों के अधिकार राजीनामा के अनुसार निर्णय नहीं कर दावा निरस्त किया है । यदि राजीनामे को इगनोर करना था तो गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था । सेटलमेंट विभाग ने गलत रूप से आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी जो दुरूस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो दावे का मेरिट पर निस्तारण किया है और न ही राजीनामा के आधार पर निस्तारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2008 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 82, आरआरडी 1996 पेज 457 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि राजीनामा विधि सम्मत नहीं था इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा के अनुसार निर्णय पारित नहीं किया है । रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार दर्ज हैं जो कि विधि सम्मत है । आराजी पैतृक है जिसमें प्रतिवादीगण ने भी हित–निहित है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी विधि सम्मत रूप से खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2008 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में वादी मृतक रामदेव ने एक वाद हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का यह कथन करते हुए पेश किया कि ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी की कुल 09 किता की 33 बीघा 02 बिस्वा भूमि भूमि स्थित है जो कि वादी के खाते की है । प्रतिवादी का वादग्रस्त आराजी में कोई हित–निहित नहीं है । उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज किया गया है । अतः वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे ।

13. पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2019–2022 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 03 किता की 33 बीघा 09 बिस्वा भूमि रामदेव वल्द नन्दा के खाते में दर्ज है और नकल जमाबन्दी संवत् 2044 –2047 के अनुसार 09 किता की 33 बीघा 02 बिस्वा भूमि रामदेव वल्द नन्दा, रामकरण, रामलाल पिसरान मडया के खाते में दर्ज है । पत्रावली पर असल विक्रय पत्र भी संलग्न है जिसके अनुसार रामदेव, गुलाब बेवा रामकरण राजू आत्मज रामकरण, सत्यनारायण नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता गुलाब बेवा रामकरण, कस्तूरी पुत्री रामकरण, लादी पुत्री रामकरण, रामलाल आत्मज मडया ने 04 बीघा भूमि रामकमल एवं रामनिवास को बेचान की है। मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है । जवाबदावे में प्रतिवादीगण ने यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी वादी और प्रतिवादी की पुश्तैनी है और सहखातेदार की हैसियत से वादी और प्रतिवादी काबिज काश्त हैं । पत्रावली में दिनांक 06.10.2008 को पक्षकारान ने एक राजीनामा पेश किया है जिसको अधीनस्थ न्यायालय में तस्दीक कर पत्रावली में शामिल किया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में राजीनामा को सद्भावी नहीं मानते हुए दावा वादी खारिज किया है और नगद प्रतिभूमि की राशि राजीनामा के अनुसार प्रतिवादीगण को देने के आदेश पारित किये हैं । अधीनस्थ न्यायालय को यदि पक्षकारान के द्वारा जो राजीनामा पेश किया गया था उसके अनुसार दावे का निस्तारण नहीं करना था तो अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम तनकीयों में प्रत्येक तनकी का पेश किये गये दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विवेचन करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था । ऐसी नहीं करके अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज किया है जो त्रुटिपूर्ण है । इस कारण हम इस प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2088 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 13 में किये गये विवेचन के अनुसार पेश किये गये राजीनामा का पुनः परीक्षण करे । हुए यदि दावे का निस्तारण बरूए राजीनामा विधि सम्मत नहीं माना जाता है तो गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 05.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा